



Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



E-mail - ceptrani@yahoo.com

पत्रांक 1846 / 36 मी
सेवा में,

दिनांक रानीखेत 01/09/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य लम्बाई 72.00 मी0 0.597 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/34843/2018)

सन्दर्भ :- उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1881/X-3-20/1(205)/2020 दिनांक 21.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु के निर्माण हेतु 0.597 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन निम्नानुसार कर लिया गया है :-

सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथारंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5160/12-1(2) दिनांक 17.03.2021 के अनुपालन में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु रु 133100.00 की धनराशि दिनांक 16.02.2022 को जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-2 4)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5160/12-1(2) दिनांक 17.03.2021 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित रु 392229.00 की धनराशि दिनांक 16.02.2022 को जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-2 4)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि समक्ष स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	राक्षग स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी राशी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0वी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैवरा, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त की पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रापट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् की निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में एन.पी.वी. तथा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु कुल रु 525329.00 की धनराशि ऑन लाईन चालान जनरेट कर दिनांक 16.02.2022 को उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा की जा चुकी है। ऑन लाईन पोर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-4)

क्रमशः पेज-2 पर

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक- 5, 8)
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली में संलग्न कर पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित	प्रस्ताव में निहित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	रोतु निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण, वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के राखत पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	उक्त परियोजना से कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त गोटर रोतु के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक - 1 के 05 तल (05 अग्रिम के)

(ललित कुमार गोयल)
अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 1846/36री.

तददिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

संख्या: 1881/X-3-20/1(205)/2020

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 21 जनवरी, 2021

विषय: मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य लम्बाई 72.00 मी0 0.597 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-854/FP/UK/ROAD/34843/2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य लम्बाई 72.00 मी0 0.597 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-


1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0वी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की

क्रमशः2

छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का गदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यचल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिथति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,



(विनय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या: — (1)/X-3-20/1(205)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि०,
 रानीखेत।

1148
 361
 19/03/21

विषय - जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार नदी पर 72 मीटर विस्तार मोटर मार्ग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रस्ताव सं० 38843/2018)
 संदर्भ - आपका पत्रांक 547/36सी० दिनांक 04.03.2021।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	भद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	0.597 हे० इको क्लास- 5 घनत्व-0.1	657000.00 प्रति हे०	392229.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	-	-	-
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना	-	-	-
4	प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	-	-	-
5	न्यूनतम 100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	100 वृक्ष	1331.00	133100.00

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार अन्य शर्तों का भी अनुपालन करने का कष्ट करें।

1148/36सी०/14/03/21

वन भूमि सहायक/अभियन्ता

Mahat
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

कृ० उक्त मोटर मार्ग का NPV एवं वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग हेतु पत्र प्रेषित करें।

AGJ 30.03.21

परियोजना का नाम:-

मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (लम्बाई 72.00 मी.) (0.597है0)

एन0 पी0 वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी। यदि भविष्य में उक्त धनराशि में बढ़ोतरी हुई तो याचक विभाग धनराशि जमा करने में सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▼ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/18882/2016 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18882/2016) Timitlona Aanusari Virod Bhemitala Talayi Motor Road.	ROAD188822016775	6118882775	22 Dec 2020	PCA: 0/-, Addl CA : 0/- Safety Zone: 0/-, CAT : 0/- NPV: 620865/-, 10 times Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total : 753965/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by 08 Mar 2022 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 12 Mar 2022 On Transaction Date 31 Mar 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/070320221333086042_FPUKROAD188822016_User_Fund_Demanded_894H3.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD188822016775)
2	FP/UK/ROAD/39247/2019 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39247/2019) Construction of Era Jorasi motor road	ROAD392472019693	6139247693	21 Jun 2021	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 635648/-, of 100 Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total : 782048/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by 19 Feb 2022 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 21 Feb 2022 On Transaction Date 21 Feb 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/160220221241546767_FPUKROAD392472019_User_Fund_Demanded_54809.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD392472019693)

(Amount - 14)



<p>FP/UK/ROAD/21140/2016 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/21140/2016)</p>	<p>ROAD211402016526612114052629 Sep 2020</p>	<p>1695407/-, Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- NPV: 1655640/-, Charges : Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3355047/-</p>	<p>16 Oct 2021 Union Bank Of India NEFT/RTGS (Challan) 29 Oct 2021 16 Feb 2022</p>	<p>Demand Letter Generated Challan (-/UserAccount/Net_Challan.aspx?pid=ROAD2114020165266)</p>
<p>FP/UK/ROAD/34843/2018 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/34843/2018)</p>	<p>ROAD3484320181095613484310921 Jan 2021</p>	<p>CA: 0/-, Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- NPV: 392229/-, plantation scheme for 133100/- of 100 trees: Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 523329/-</p>	<p>16 Oct 2021 Union Bank Of India NEFT/RTGS (Challan) 01 Dec 2021 16 Feb 2022</p>	<p>Demand Letter Generated Challan (-/UserAccount/Net_Challan.aspx?pid=ROAD34843201810956)</p>
<p>FP/UK/ROAD/10159/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10159/2015)</p>	<p>ROAD101592015203611015920330 Dec 2016</p>	<p>CA: 1794603/-, Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- NPV: 2115540/-, Charges : Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3910143/-</p>	<p>02 Mar 2019 Corporation Bank NEFT/RTGS (Challan) 03 Mar 2019 12 Mar 2019</p>	<p>Demand Letter Generated Challan (-/UserAccount/Net_Challan.aspx?pid=ROAD1015920152036)</p>